कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)

क्रमांक : 24745 DLB2223GSOB24001 दिनांक : 26/12/2

अल्पकालीन निविदा सूचना

जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से निम्नलिखित सामान क्रय करने हेतु सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक सप्लायर्स सीलबन्द निविदायें निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रत्येक मद के आगे अंकित दिनांक 28.12.22 को सांय 3 PM बजे तक प्रेषित कर सकते हैं। निविदायें इसी दिनांक को सायंकाल 3.30 pm. बजे उपस्थित निविदा दाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।

कंसं.	वस्तु का नाम	अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य	निविदा खोलने की दिनांक
1.	नाश्ता के पैकेट की आपूर्ति	4 लाख [illegible] हजार 2	9000 /–	500 /–	

इस निविदा को www.sppp.rajasthan.gov.in एवं नियम की website urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखा जा सकता है।

आयुक्त
नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक : 24746 to 24752 दिनांक : 26/12/22

प्रतिलिपि :–

01. राजस्थान संवाद,जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा एक क्षेत्रिय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साइज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने का श्रम करावे।
02. अतिरिक्त आयुक्त, जोधपुर नगर निगम जोधपुर।
03. उपायुक्त(मुख्यालय), जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
04. सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम जोधपुर।
05. कार्यालय अधीक्षक, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर।
06. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को www.sppp.rajasthan.gov.in तथा website urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर अपलोड करने हेतु।
07. नोटिस बोर्ड।

आयुक्त
नगर निगम, जोधपुर

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)

क्रमांक :

दिनांक :

निविदा–सूचना

जोधपुर नगर निगम की ओर से नास्ता पैकेट की सप्लाई हेतु निर्धारित निविदा प्रपत्र में टेण्डर प्रक्रिया से निविदाऐं आमंन्त्रित की जाती है। जो इच्छुक फर्म/सस्थां निविदा में हिस्सा लेना चाहते है वे अपनी टेण्डर निविदाए ऑनलाईन प्रत्येक मद के आगे अंकित दिनांक व समय तक इलेक्ट्रोनिक फॉर्म में प्रेषित कर सकते है। राजकीय अवकाश होने पर निविदाये अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

महत्वपूर्ण दिनांको का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक व समय		
निविदा फार्म भरकर प्रस्तुत करने की आंरभिक दिनांक व समय		
निविदा फार्म भरकर प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक व समय		
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/ डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति लेखा शाखा रूम नं. 216 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय		
निविदा खोलने की दिनांक व समय		

निविदा का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्रसं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1.	नाश्ता के पैकेट की आपूर्ति	4 लाख 50 हजार	9000/–	500/–	500/–	

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. निविदा की प्रक्रिया ऑफ लाईन होगी। निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को ऑफलाइन फॉर्मेट में बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
2. ऑफलाइन निविदा खोलने की दिनांक को किसी कारणवश यदि निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. नई निविदा प्रस्तुत दरे कार्य पूर्ण होने तक जारी रहेंगी।
4. दर्शायी गयी अनुमानित लागत से कम या अधिक क्रय करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगी।
5. निविदा संबंधित कार्य में निर्धारित व्यवहार करने वाली फर्म ही प्रस्तुत करे जिसका घोषण पत्र देना होगा।
6. इस निविदा को निगम की website www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
7. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय के लेखा शाखा कमरा नं. 216 में निर्धारित समय से पूर्व जमा करवाना आवश्यक हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:–

कंसं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	500/–	डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर
2.	धरोहर राशि	9000/–	डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर

8. निविदादाता निविदा शुल्क, धरोहर राशि के डी.डी/बैंकर चैक की मूल प्रति लिफाफे में प्रस्तुत करेंगे जिस पर निविदा सूचना कमांक, निविदादाता का नाम,पता एवं मोबाइल नं. अंकित होने आव यक हैं।
9. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने आवश्यक है।
10. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता हैं अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
11. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
12. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृत के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नही कर सकेगें यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली हैं, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
13. निविदा में निविदादाताओं से अंतर राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात् ही स्वीकृति निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।
14. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकारी निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
15. समस्त निविदा कार्य पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 लागू होगें।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)

क्र.सं.	वस्तु	दर (GST के अतिरिक्त सभी करों सहित)
1.	नाश्ता, एक केला, नमकीन (कचौरी), मठरी (2 नग), वेपर्स (15 ग्राम) प्रति मय प्लेट, पारलेजी गोल्ड छोटा पैकेट, प्लास्टिक पैक / गत्ता बोक्स।	(अंकों में...रूपये) (शब्दो में...रूपये) (अंकों में...रूपये) (शब्दो में...रूपये) (अंकों में...रूपये) (शब्दो में...रूपये) (अंकों में...रूपये) (शब्दो में...रूपये) (अंकों में...रूपये) (शब्दो में...रूपये) (अंकों में...रूपये) (शब्दो में...रूपये)
2.	बिसलेरी पानी की बोतल 250 मिलीलीटर प्रतिनग	(अंकों में...रूपये) (शब्दो में...रूपये)
3.	रियल ज्यूस (मोसमी) बोतल 200 मिलीलीटर प्रतिनग	(अंकों में...रूपये) (शब्दो में...रूपये)

दरों में जीएसटी (वस्तु एंव सेवाकर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सम्मिलित होगें। जी.एस.टी. लागू होने पर पृथक से देय होगा।

निविदादाता हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

परिशिष्ठ–ब

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)

नास्ता पैकेट दर

01. एक केला।
02. नमकीन पीस (कचौरी)।
03. मठरी (2 नग) ।
04. वेफर्स (15 ग्राम) ।
05. पारलेजी गोल्ड छोटा पैकेट।
06. बिसलेरी पानी बोतल 250 मिलीलीटर।
07. रियल ज्यूस (मोसमी) बोतल 200 मिलीलीटर ।

उपरोक्त प्लास्टिक पैक / गत्ता बोक्स में पैंकिंग करके निर्धारित स्थल पर सप्लाई करना। दरे जी एस टी के अतिरिक्त सभी करों सहित होगी।

दर प्रति पैकेट (अंकों में...रूपये)
(शब्दो में...रूपये)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय नगर निगम जोधपुर, (दक्षिण)

निविदादाता **द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतियॉ संलग्न की जानी अनिवार्य है:–**

1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फूड लाइसेंस की स्वहस्ताक्षरित प्रति।
2. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अर्न्तगत जारी रजिस्ट्रेशन की प्रति।
3. वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति।
4. बोलीदाता/संवेदक के आयकर (पैन नम्बर) कार्ड की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति।
5. निविदा की धरोहर राशि, निविदा शुल्क का किसी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक की मूल प्रति।
6. निविदा/बोली की समस्त निबन्धनों एवं शर्तो (Details of Bidder's Terms & Conditions) की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति।
7. अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां (यदि हो तो)।

–:निविदा/बोली व अनुबन्ध की शर्तें एवं विनियमनः–

अपने निविदा/कोटेशन देने से पूर्व शर्तों को पढ़े।

निविदादाता/संवेदक को निविदा/बोली में अपनी दरें प्रस्तुत करने से पूर्व इन शर्तो को बहुत सावधानी पूर्वक पढना चाहिये। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करने से पूर्व आयुक्त नगर निगम जोधपुर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।

01. दिया गया कार्य निविदादाता आगे दूसरें को न दे सकेगा अथवा सबलेट न कर सकेगा।
02. अल्पाहार को उचित पैकिंग सहित ताजा हालत में निगम अथवा बतायी गये स्थान पर पहुचाने का कार्य 24×7 सप्लायर को करना होगा।
03. दरें.एफ.ओ.आर. निर्देशित स्थान तक निर्धारित समय पर पहुंचाने की होगी।
04. माल स्वीकृति दर पर निगम की आवश्यकता अनुसार देय होगा और सप्लाई सन्तोषजनक न होने पर कॉन्ट्रेक्ट को किसी भी समय भंग करने का निगम को अधिकार होगा एंव सप्लाई का समय निगम की सुविधा अनुसार ही बढ़ाया जा सकेगा।
05. नगर निगम को किसी टेण्डर की दर को मंजूर करने या नामंजूर करने का बिना कोई कारण बताये पूरा अधिकार होगा और माल पूरा या अंश रूप से लेने का अधिकार होगा।
06. निर्धारित समय में आदेशित संख्या के अनुसार आपूर्ति नहीं करने पर संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य संवेदक से कार्य करवाकर लेखा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
07. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण) का निर्णय दोनो पक्षों का मान्य रहेगा।
08. जिसका टेण्डर मन्जूर किया जायेगा उसे सप्लाई आदेश देने की दिनांक से माल/कार्य समय पर करना होगा। माल स्वीकृत दर पर निगम की आवश्यकता अनुसार देना होगा और सप्लाई सन्तोषजनक न होने पर अनुबंध के किसी भी समय समाप्त करने का निगम को अधिकार होगा एवं सप्लाई का समय निगम की सुविधा अनुसार ही बढ़ाया जा सकेगा।
09. टेण्डर के साथ धरोहर राशि रूपये 8500/–, निविदा शुल्क रूपये 500/– बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में पेश होना आवश्यक है इनके बिना दिया गया टेण्डर मान्य नहीं होगा। राशि चैक द्वारा मान्य नहीं होगी।
10. सफल टेण्डर दाता को वांछित फार्म में इकरारनामा उचित स्टाम्प पेपर भर कर देना होगा और कार्य को पूरा करने के लिये अमानत राशि कुल 5 प्रतिशत नगर निगम कोष में जमा कराने होगे जो कार्य को सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण होने के दो माह बाद वापिस लौटा दिये जावेगें। इकरारनामा भर कर दिये गये समय पर पेश न करने पर शर्तों का भंग होना माना जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, निर्धारित शर्तो को भंग करने अथवा कान्ट्रेक्ट को सन्तोषजनक ढंग से परिपूर्ण न करने की दिशा में जमा अमानत राशि पूरी अथवा अंश में जब्त कर ली जावेगीं। जिसमें क्रय अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
11. सप्लायर द्वारा दिये गये समय में वस्तु की सप्लाई न करने की दशा में नगर निगम द्वारा बिना कोई नोटिस दिये, सप्लायर की रिस्क पर वस्तु की सप्लाई स्त्रोत से कर ली जायें और आदेश निरस्त किया जावेगा। जिससे होने वाला नुकसान (damages) सप्लायर से उसके

किसी भी क्लेम से जो नगर निगम से देय होगा, वसूल किया जा सकेगा। उसके बिल अथवा कोई अन्य देय राशि से वसूली न होने पर उसे कानूनी कार्यवाही द्वारा वसूल की जा सकेगी। ऐसी रिस्क परचेज में नगर निगम खरीददारी अपने विवेकानुसार करेगी। ऐसे सारे मामले जहां सप्लाई न करने से सप्लाई आदेश निरस्त किये जाने की सूरत में कान्ट्रेक्ट का भंग होना माना जावेगा और निगम ऐसी सूरत में उसी अनुसार कार्यवाही करेगी।

12. नगर निगम को किसी टेण्डर की दर को मन्जूर करने या नामंजूर करने का बिना कोई कारण बताये पूरा अधिकार होगा और माल पूरा या अंश रूप में लेने का अधिकार होगा।
13. किसी भी विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही हेतु न्याय क्षेत्र जोधपुर शहर में होगा।
14. उपरोक्त टेण्डर की शर्तो के अलावा सप्लायर द्वारा टेण्डर में लगाई गई अन्य शर्तें सशर्त निविदा अमान्य होगी और टेण्डर अस्वीकार किया जावेगा।
15. **<u>सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि</u>** : परिनिर्धारित नुकसान (Liquidated damages) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि किए जाने के मामले में निविदादाता जिन सामानों की सप्लाई करने में असफल रहा है, उनके मूल्य के निम्नलिखित प्रति ात के आधार पर वसूली की जाएगी।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि के एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए– 5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के विलम्ब के लिए – 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

<u>टिप्पणी :</u> प्रदाय करने में विलम्ब की अवधि को गिनने में दिन के अंश को यदि वह आधे दिन से कम का है तो छोड दिया जाएगा। परिनिर्धारित नुकसान की अधिकतम राशि 10% हैं।

भोजन सप्लाई निगम के आदेशानुसार निर्धारित स्थान व समय पर कर दी जायेगी।

धरोहर राशि की रकम रूपये .... बैक डिमाण्ड ड्राफ्ट/रसीद नम्बर .... दिनांक .... के द्वारा पेश है। (धरोहर राशि सिर्फ डिमाण्ड ड्राफ्ट पेश करनी है)

16. निविदा/बोली, निविदा/बोली सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार यथोचित रूप से निविदा बोली के साथ निर्धारित निविदा/बोली शुल्क का मूल डी.डी./बैंकर चैक डी.डी., धरोहर राशि का मूल डी.डी./बैंकर चैक तथा अन्य वांछित मूल दस्तावेजों के आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे आयुक्त नगर निगम को निर्धारित तिथि व समय से पूर्व तक कार्यालय में जमा/प्रस्तुत करने होगें। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा/बोली पर विचार नही किया जाएंगा एवं स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
17. निविदाओं को निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित बोलीदाता /संवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा। निर्धारित समय में कोई बोलीदाता/संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने पर विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इन्तजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोला जायेगा। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता हैं तो आगामी कार्य दिवस को निविदा/बोली उसी समय पर खोली जायेगी।
18. सभी प्रकार के करों को जमा करावाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी।
19. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20. बोलीदाता/संवेदक बिन्दु निविदा/बोली के अन्त में प्रत्येक पृष्ठ/वांछित कॉलम/ स्थान पर समस्त निबन्धनो एवं शर्तो (Term &Conditions) को स्वीकार करने के प्रमाणन के रूप में नियमानुसार अपने हस्ताक्षर करेगा।
21. बोलीदाता/संवेदक अपनी निविदा/बोली या उसके किसी सारभुत भाग को ना तो किसी एंजेसी को सौप सकेगा ना ही किसी को आगे निविदा/बोली पर दे सकेगा।

22. बोलीदाता/प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार ही अनर्हता (Disqalification) होगी।
23. निविदादाता के पास स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र होना आवश्यक हैं। सक्षम प्राधिकारी/रजिस्ट्रार से पंजीकृत संस्थाओ द्वारा ही दी गई निविदा/बोली मान्य होगी। संस्था का स्वंय के नाम अथवा फर्म के नाम से बैंक में खाता होना आवश्यक हैं।
24. निविदा/बोली किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की और से किसी एक साझेदार को अधिकृत किये जाने की स्थिति में पॉवर ऑफ अर्टोनी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। निविदा/बोली स्वीकृत के बाद फर्म के संविधान में कोई परिर्वतन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबन्ध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नही डालेगा। इसी प्रकार जबतक इस अनुबन्ध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नही करे तबतक फर्म में कोई साझेदार सम्मिलित नही किया जावेगा। निविदादाता कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा/बोली भरी जावेगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृती निविदा/बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
25. दरों की इकाईयों में किसी भी स्थिति में परिर्वतन नही किया जाना चाहिये और दरें अंको के साथ–साथ शब्दों में भी आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिए।
26. **<u>बोलीयो की विधि मान्यता की कालावधि</u>** :– बोली लगाने वालो के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतया नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।

27. <u>बोली अमानत/प्रतिभूति राशि</u> :–

1. दर संविदा के मामले में बोली अमानत/प्रतिभूति बोली के लिये प्रस्तुत उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का प्रतिशत होगी।
2. बोली प्रतिभूति बैंकर्स चैक या मांगदेय ड्राफ्ट (डी.डी.) या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपनिधान में बैंक गारंटी के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढायी गयी विधि मान्यता की कालाविधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहेगी।
3. असफल बोली लगाने वालो की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय ,सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।
4. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

28. <u>बोली प्रतिभूति का समपहृत :–</u>

1. बोली लगाने वाले से ली गई प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों मे समपहृत कर दी जायेगी, करता हैं।
   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता हैं।
   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
   (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता हैं।
   (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता हैं।
   (ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम ओर इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता हैं।
2. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती हैं यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता हैं।

29. बोली स्वीकृत अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक सेवाप्रदाता से अधिक को सेवा की मदों को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

30. बिल एंव बिल के साथ समस्त संलग्नकों पर अनुबन्धित फर्म या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर मय नाम एवं मोहर अंकित होना आवश्यक है। बिल पर अनुबन्धित फर्म या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर होने पर बिल पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

31. यदि अनुबन्धित फर्म के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें नगर निगम जोधपुर प्रशासन को भी पक्षकार बनाया हैं तो संबंधित न्यायालय में एडवोकेट, जवाब दावा पेश करने में नगर निगम जोधपुर पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबन्धित फर्म से वसूल किया जावेगा।

32. अनुबन्ध समाप्ति के समय निगम प्रशासन द्वारा अनुबन्धित फर्म से मांगे गये आवश्यक समस्त दस्तावेज/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रतिभूति राशि एंव बैंक गारन्टी लौटाने संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

33. अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर अनुबन्ध की शर्तो की पालना नहीं करने या अनुबन्धित फर्म का कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर पूर्ण प्रतिभूति राशि को जब्त करने का पूर्ण अथवा आंशिक अधिकार आयुक्त नगर निगम जोधपुर का होगा।

34. कार्यालय/ट्रेजरी से किसी भी कारण से देरी से बिल पास होने पर देरी से भुगतान प्राप्त होने पर अनुबन्धित फर्म किसी भी प्रकार का क्लेम, निगम प्रशासन से नहीं करेगा।

35. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत /डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

36. यदि संवेदक कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो विभाग को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिये बिना इसकी जोखिम पर आपूर्ति सम्पन्न कराई जावेगी। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा किये गये जाने वाले समस्त खर्चे एवं विभाग की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे–खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय विभागीय प्राधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।

37. अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि मे से तुरन्त कर ली जावेगी तथा प्रतिभूति राशि से अधिक वसूली बनती है तो बैंक गारंटी से तुरन्त राशि वसूल कर ली जावेगी। यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नही हो तो राजस्थान लोकमॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

38. निविदाकार को देय भुगतान मे से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्त्रोत पर के रूप में विभाग द्वारा आयकर की कटौति की जाकर भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता/संवेदक के आवेदन पर विभाग द्वारा आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र जारी किया जावेगा।

39. विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) का निर्णय अंतिम होगा व बोलीदाता /संवेदक को मान्य होगा।

40. किसी भी कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व यदि जरूरत पड़े तो दोनो पक्ष अपने प्रकरण को आरबीट्रेटर के समक्ष रखें। तत्पश्चात् समस्त कानूनी कार्यवाहियां यदि किसी भी पक्ष द्वारा

किये जाने की आवश्यकता पड़े तो संबंधित जिला न्यायालयों में ही की जानी होगी। अन्य स्थान पर नहीं होगी अर्थात समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर स्थित न्यायालय होगें।

41. **बोलियों का प्रत्याहरण प्रतिस्थापन और उपान्तरण** :– बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित/लिखित नोटिस भेजकर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस–

(क) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफें पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", "प्रतिस्थापन","उपान्तरण" अंकित हो और (ख) बोलियों को प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

(1) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वाले को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

42- (2) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियां की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

43- **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार**:– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियो में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी:– (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई हैं। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा। (ख) यदि योग के घटकों के जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गई हैं तो घटक अभिभावी होगें और योग में सुधार किया जायेगा। (ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दो में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपुर्यक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

44- **राजस्थान की और बाहर की फर्मो की दरों की तुलना** :– उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते समय जो कीमत अधिमान की हकदार नही है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए राजस्थान की फर्मो द्वारा कोट की गयी दरों से जी.एस.टी. का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा और राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों की से केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जावेगा।

45- **किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार** :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्व किये जायेगें।

46- **परिमाण में परिर्वतन का अधिकार** :– (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय बोली दस्तावेजों मे मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के बीस प्रति ात से अधिक नहीं होगी। यह बोली और बोली दस्तावेजो के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनो और शर्तो मे किसी परिवर्तन के बिना होगी।

(2) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली

लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(3) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेगें। यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगीः–

(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत

47. **<u>अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालो के बीच परिमाणों का विभाजनः–</u>** सामान्य नियम के रूप मे उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेगें जिसकी बोली स्वीकार की गई है तथापि जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नही हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वूपर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले जिसकी बोली स्वीकार की गई है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या किसी क्रम में और भी बोली लगाने वालो के बीच उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गई है,. ऋजु, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचने के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति प्रस्ताव बातचीत के समान होगी। तथापि परिमाणों के विभाजन की दशा मे जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात् द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2) तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गई दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

48. **<u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति</u>** :– सफल बोली लगाने वालों से कार्य निष्पादन प्रतिभूति को रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामलें में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगीः–

1. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते में उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना नियत जमा रसीद (एफडीआर) का मांग पर ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
2. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।
3. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटिया। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से सम्बन्धित अन्य शर्त बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होगी।
4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति वांरटी बाध्याताओं और रख–रखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परें साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
5. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा

49. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण** :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों मे समपहरण किया जा सकेगा।

(1) जब संविदा के किन्ही निबंधनो और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(2) जब बोलीदाता/संवेदक सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

50. **करार का निष्पादन** :–

(1) सफल बोली लगाने वाले को निविदा/बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक हैं।

(2) यदि बोली लगाने वाला जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया रद्व कर संकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेजो में उपवर्णित कसौटी और प्रकियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृत का प्रस्ताव दे सकेगी।

51- **सत्यनिष्ठा संहिता** :– उपापन प्रकिया में भाग लेने वाल कोई भी व्यक्ति,

(1) उपापन प्रकिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रकिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नही करेगा।

(2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नही करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रवरित रहने के लिए गुमराज करता हो या गुमराज करने का प्रयास करता हो।

(3) उपापन प्रकिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्वि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगी।

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गई किसी भी जानकारी का उपापन प्रकिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(5) उपापन प्रकिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुचाने ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगी।

(6) उपापन प्रकिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(7) हित का विरोध यदि कोई हो प्रकट करेगा।

(8) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी भी विवर्जन को प्रकट करेगा।

बोलीदाता/ संवेदक के हस्ताक्षर मय सील

बोलीदाता/संवेदक का नाम.................................

पता...

....

मोबाईल नम्बर...........................